हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
22/08/15	अत्रखली प्रार्थीगण मूलचंद आदि के विपक्ष दावी अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा के पेश होने पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी रामीनामा के आधार पर आवेदन स्वीकार किया जावे। प्रार्थीगण की पहचान अधि. प्रार्थीगण श्री योगेश शर्मा द्वारा की गई। अतः प्रार्थीगण के निवेदन पर आवेदन स्वीकार किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। मिसल आदेश शुमार होकर नियमानुसार हो। उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ	किशनलाल सुभाष बाबूलाल पक्षकारान